झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शि0)—लातेहार / PDS—17 / 2022 - 258

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 4.03.2024

विषयः— **लातेहार जिला में राशन लेने के लिए 10—35 कि0मी0 दूर जाने संबंधी परिवाद पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री कन्हाई सिंह, जिला परिषद सदस्य, लातेहार का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद पत्र में उल्लेख है कि लातेहार जिला के सरयू प्रखण्ड के ग्राम अमवाटीकर के कार्डधारियों को राशन लेने के लिए 35 कि0मी0 एवं बरवाडीह प्रखण्ड के ततहा, मेराल, रमनदाग एवं लादी के ग्रामिणों को 10—12 कि0मी0 तथा बारीदोहर, बारीचट्टान, गुआ हरिणामाड़, मूरू एवं उकामाड़ में ग्रामिणों को लगभग 7—10 कि0मी0 जाना पड़ता है, जबकि PDS Control Order में अधिकतम दूरी साधारणतया 3 कि0मी0 एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 02 कि0मी0 निर्धारित है। श्री सिंह द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में उनके द्वारा लातेहार जिला परिषद की बैठक में यह मामला उठाया गया किन्तु उन्हें बताया गया कि राशन दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु राज्य स्तर से पोर्टल बन्द है। श्री सिंह द्वारा उक्त मामले में कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

1/3/24

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx699

Gmail food commission <jharfoodcommission@gmail.com>

लातेहार जिला में राशन लेने के लिए 10 से 35 किमी दूर जाने के सम्बंध में

1 message

Kanahi Singh <kanhaisingh842@gmail.com> Sat, Feb 10, 2024 at 5:00 PM
To: jharfoodcommission@gmail.com

सेवा में

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग,झारखंड

विषय: लातेहार जिला में राशन लेने के लिए 10 से 35 किमी दूर जाने के संबंध में

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि लातेहार जिला के सरयू प्रखंड के ग्राम अमवाटीकर के राशन कार्डधारियों को राशन लेने के लिए 35 किमी दूर जाना पड़ता है। बरवाडीह प्रखंड के ततहा,मेराल,रमनदाग,लादी के ग्रामीणों को राशन लेने के लिए जंगल पहाड़ से होते हुए 10-12 किमी की यात्रा करनी पड़ती है। बरवाडीह प्रखंड के बारीदोहर, बारीचट्टान, गुवा हरिनामाड़, मूरू एवम उकामाड़ के ग्रामिणों को राशन लेने के लिए लगभग 7-10 किमी दूर जाना पड़ता है।

जबकि PDS Control order के अनुसार राशन की दुकान तक पहुंचने में राशन कार्ड धारकों को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए एवम यह सुनिश्चित करना है कि कार्ड धारकों राशन लेने के लिए साधारणतया 3 किमी एवम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 2 किमी से अधिक यात्रा नहीं करनी पड़े।

इस संबंध में मेरे द्वारा लातेहार जिला परिषद की बैठक में मामला उठाया गया था जिसके जवाब में बताया गया कि राशन दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु राज्य स्तर से पोर्टल बंद है।(जवाब संलग्न है)

श्रीमान से आग्रह है कि मामले का संज्ञान लेकर उचित कारवाई की जाए। ताकि ग्रामीणों को राशन लेने के लिए 3 किमी से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े।

कन्हाई सिंह
जिला परिषद सदस्य,लातेहार
मोबाइल नंबर 7762839755

jila parishad meeting .pdf
248K

205

		उत्तर भी समाहित है।
164	माननीय सदस्य, जिला परिषद, बरवाडीह पूर्वी श्री कन्हाई सिंह द्वारा बताया गया कि जयगिर के आदिम जनजाति परिवार को 23 कि0मी0 दूर से राशन लाना पडता है साथ ही अम्वाटीकर के लोगों को राशन लाने हेतु 35 कि0मी0 दूर जाने एवं 35 कि0मी0 आने कुल 70 कि0मी0 की दूरी तय करनी पडती है। साथ ही यह भी बताया गया कि उक्त ग्राम के ग्रामीणों को दो प्रखण्डों बरवाडीह एवं गारू हो कर सरयू प्रखण्ड से राशन लाते है। अन्य ग्रामों के ग्रामीणों को भी तीन कि0मी0 से अधिक दूरी तय कर राशन लाना पडता है। जबकि विभागीय प्रावधान के अनुसार तीन कि0मी0 के दायरें में ही राशन उपलब्ध कराया जाना है। सदन द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निदेश दिया गया कि मामले की जाँच कर नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।	➢ गारू प्रखण्ड के ग्राम पंचायत रूद अन्तर्गत ग्राम जयगीर तक जाने हेतु सड़क/रास्ता नही है एवं गॉव दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है। जयगीर से लगभग 2–3 किलोमीटर दूर ग्राम बारीबांध तक सड़क मार्ग से आवागमन संभव है। बारीबांध तक वाहन से तथा उसके उपरान्त अन्य साधन द्वारा आदिम जनजाति परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। ➢ ग्राम अम्वाटीकर सरयू प्रखण्ड के गणेशपुर पंचायत का गॉव है वर्तमान में जन वितरण प्रणाली विक्रे॰ बरवाडीह प्रखण्ड से संचालित है। जिसमें गणेशपुर में मात्र दो जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान स्वयं सहायता समूह एवं प्रियंका कुमारी की दुकान संचालित है। अम्वाटीकर गॉव के कार्डधारियों स्वयं सहायता समूह से सम्बद्ध है। अम्वाटीकर गॉव से गणेशपुर स्वयं सहायता समूह की दूरी 3 किलोमिटर से बहुत अधिक है। लेकिन वर्तमान में नये अनुज्ञप्ति हेतु राज्य सरकार स्तर से पोर्टल बन्द है। पोर्टल खुलने के साथ अम्वाटीकर गॉव से स्वयं सहायता समूह को नये अनुज्ञप्ति दिलवाकर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जायेगी। अम्वाटीकर गॉव के कार्डधारियों को बरवाडीह प्रखण्ड के नजदीकी ग्राम पंचायत चुंगरू के ग्राम नावाडीह से सम्बद्ध करने का प्रयास किया गया लेकिन कार्डधारियों मे आम सहमति नही बन पाती है। अधिकतर कार्डधारियों को कहना है कि पोर्टल खुलने की स्थिति में अम्वाटीकर गॉव में ही नये अनुज्ञप्ति देकर स्थायी समाधान ही संभव है।

सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

31/1/24